

न्यायालय उपखण्ड अखिकाठी एवं पदेन सहायक कलक्टर सृजानाहं

पीठासीन अखिकाठी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना- पत्र - अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए व 136 एलआर एक्ट मु. नं. 79 सन 2019

फंड अटकाम

(निम्न 26)

2019  
00149

हुकम

हुकम की कायदाही मय इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख  
अटकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

17.10.2019

यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए व 136 एलआर एक्ट धरा कर निवेदन किया है कि खेत ख.नं.16 तादादी 5.0074 हेक्टेयर, ख.नं. 218 तादादी 3.8061 हेक्टेयर, ख.नं. 237 तादादी 2.6175 हेक्टेयर, ख.नं. 241 तादादी 7.4984 हेक्टेयर, ख.नं. 330 तादादी 1.3024 हेक्टेयर एवं ख.नं. 331 तादादी 1.5932 हेक्टेयर कुल किलो किलो ग्राम धातरी तहसील तहसील सृजानाहं जिला बूँद में से 1/5 हिस्सा में प्रार्थी का 5/6 हिस्सा एवं अप्रार्थीनी अखिकाठी देवी पत्नी रामेश्वर का 1/6 हिस्सा खातेदाही में संशोधन कर दवा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दवा रिजस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। धरकार राज ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खेत ख.नं.16 तादादी 5.0074 हेक्टेयर, ख.नं. 218 तादादी 3.8061 हेक्टेयर, ख.नं. 237 तादादी 2.6175 हेक्टेयर, ख.नं. 241 तादादी 7.4984 हेक्टेयर, ख.नं. 330 तादादी 1.3024 हेक्टेयर एवं ख.नं. 331 तादादी 1.5932 हेक्टेयर कुल किलो किलो ग्राम धातरी तहसील तहसील सृजानाहं जिला बूँद में से 1/5 हिस्सा में प्रार्थी का 5/6 हिस्सा एवं अप्रार्थीनी अखिकाठी देवी पत्नी रामेश्वर का 1/6 हिस्सा खातेदाही में संशोधन कर दवा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जाना उचित है।

प्रवादी का अवलोकन किया गया। धरकार राज नयब तहसीलदार सातारस की अनुरोधों के आधार पर राजस्थान न्यू-राजस्व अधिनियम 1956 की अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए व 136 एल आर एक्ट के अनुसरण में ग्राम धातरी तहसील सृजानाहं व जिला बूँद की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 में नया खाता संख्या 54 में दवा प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	धातरी	54	सिकोरी पत्ति रामेश्वर हिस्सा 1/5 जाति बाहेमण निवासी धातरी खातेदार राज हिस्सा 1/5(पूर्व खाता) बूँक और बहीदा खाता धातरी	1. सिकोरी पत्ति रामेश्वर हिस्सा सम्पूर्ण खाते में से 1/30 जाति बाहेमण निवासी धातरी खातेदार राज हिस्सा सम्पूर्ण खाते में से 5/30 हिस्सा राजिन बूँक और बहीदा खाता धातरी

1	धातरी	54	सिकोरी पत्ति रामेश्वर हिस्सा 1/5 जाति बाहेमण निवासी धातरी खातेदार राज हिस्सा 1/5(पूर्व खाता) बूँक और बहीदा खाता धातरी	2. मंगीलाल पुत्र रामेश्वर लाल जाति बाहेमण निवासी धातरी खातेदार सम्पूर्ण खाते में से 5/30 हिस्सा राजिन बूँक और बहीदा खाता धातरी
---	-------	----	---	--

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सृजानाहं व प्रबंधक बूँक और बहीदा खाता धातरी को भिजवाई जाये। राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्त लिखित रूपतरी है। निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसने इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अखिकाठी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सृजानाहं

17/10/19